रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230297
CG-DL-E-09102021-230297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
No. 306] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2021

(मामला संख्याः सीवीडी-एसएसआर-1/2021)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कुछ हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पादों" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 7/21/2021-डीजीटीआर.—1. मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड (जिन्हें आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' अथवा 'संबद्ध

सामान' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

पृष्ठभूमि

2. प्राधिकारी द्वारा मूल सब्सिडी-रोधी जांच 12 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/18/2015-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 14/18/2015-डीजीएडी, दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा चीन से संबद्ध सामानों के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। दिनांक 07 सितंबर, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (सीवीडी) द्वारा निश्चयात्मक उपाय लगाये गये थे।

परामर्श

3. एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 10 सितंबर, 2021 को चीन सरकार के अधिकारियों के साथ जांच की शुरूआत से पूर्व परामर्श किये गये थे। चीन सरकार ने आवेदकों द्वारा तथाकथित कुछ कार्यक्रमों की मौजूदगी पर विवाद किया है। तथापि, प्राधिकारी का मानना है कि तथाकथित सब कार्यक्रमों की मौजूदगी, उनकी प्रतिकारिता और उनमें लाभ की सीमा का विश्लेषण संबंधित नियमावली के अनुसार एक जांच के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं, चाहे सभी ग्रेड/श्रृंखला के हॉट रोल्ड हों या कोल्ड रोल्ड हों; चाहे प्लेटों में हों, शीटों में हों, अथवा कॉइल रूप में हों अथवा किसी भी आकार में हों, किसी भी चौड़ाई के हो, हॉट रोल्ड कॉइल के मामले में मोटाई 1.2 मिमी से 10.5 मिमी. की मोटाई के हों; हॉट रोल्ड प्लेटों और शीटों के मामले में 3 मिमी से 105 मिमी तक के हों; और कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के मामले में 6.75 मिमी तक हों। उत्पाद क्षेत्र विशेष रूप से रेजर ब्लेड ग्रेड स्टील को अलग करता है।"

5. संबद्ध सामानों का प्रयोग व्यापक रूप से वास्तुकला, भवन और निर्माण, ऑटोमोबाइल, रेलवे और परिवहन; प्रोसेस इंजीनियरिंग; उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं; और कॉइन ब्लैंक्स और ब्लेडों जैसी अन्य वस्तुओं के लिए किया जाता है।

6. संबद्ध सामान उपशीर्ष 7219 और 7220 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

8. आवेदकों ने उत्पाद नियंत्रण संख्या के ग्रेड, रूप, चौड़ाई, मोटाई और परिष्करण के आधार पर उचित तुलना के उद्देश्य से एक पीसीएन प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित पीसीएन इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	विवरण	पीसीएन	कोड
1.	उत्पाद किस्म	हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड, कोल्ड रोल्ड एनील्ड और पिकल्ड	1 2 3 4
2.	उत्पाद की श्रेणी	201 202 216 301 304	201 202 216 301 304

		304एल 309 310/एस 316 316/एल 405 409 410 410/एस 415 420 430 432 436 439 441 444 446 डुप्लेक्स अन्य – कृपया उल्लेख करें विशेष - कृपया उल्लेख करें	304एल 309 310/एस 316 316/एल 405 409 410 410/एस 415 420 430 432 436 439 441 444 446 डीयूपी ओआरएस एसपीसी
3.	उत्पाद का प्रकार	कॉइल प्लेट/शीट स्ट्रिप्स पंच्ड कॉइल रिवर्सिंग मिल प्लेट क्वार्टो प्लेट्स सर्किल्स अन्य, कृपया उल्लेख करें	1 2 3 4 5 6 7 8
4.	उत्पाद की चौड़ाई	600 मिमी से कम की चौड़ाई का 600 मिमी अथवा उससे अधिक की चौड़ाई का लेकिन 1250 मिमी तक 1250 मिमी से अधिक की चौड़ाई का लेकिन 1650 मिमी तक 1650 मिमी से अधिक की चौड़ाई का	1 2 3 4

5.	मोटाई	(क) हॉट रोल्ड	
		1.2 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 3 मिमी से कम	1
		3 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम	2
		4.75 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 10.5 मिमी से कम	3
		10.5 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 14.75 मिमी से कम	4
		14.75 मिमी से अधिक की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 105 मिमी से कम की मोटाई का नहीं	5
		(ख) कोल्ड रोल्ड अथवा कोल्ड कम किया हुआ	
		0.5 मिमी से कम की मोटाई का	6
		0.5 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 1 मिमी से कम	7
		1 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 3 मिमी से कम	8
		3 मिमी की मोटाई का और उससे अधिक लेकिन 4.75 मिमी से कम	9
		4.75 मिमी और उससे अधिक की मोटाई का लेकिन 6.75 मिमी से अनधिक	10
6.	उत्पाद का परिष्करण	कोई विशेष परिष्करण नहीं	1
		विशेष परिष्करण - कृपया अलग कॉलम में विशेष परिष्करण का उल्लेख करें	2

9. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव दें।

ख. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देश से भारत को निर्यातित संबद्ध सामानों के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तकनीकी विशिष्टियों ,विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, कीमत ,वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा नियमावली के तहत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत :वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग

द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन मैसर्स जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और मैसर्स जिंदल स्टेनलेस) हिसार (लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। निम्नलिखित एसोसिएशनों द्वारा समर्थन पत्र दायर किया गया है:

(i) इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलेपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए)

(ii) जगाधरी स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन

(iii) राजस्थान स्टेनलेस स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन

(iv) वजीरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी

(v) स्टेनलेस स्टील री रोलिंग एसोसिएशन

(vi) दिल्ली स्टेनलेस स्टील ट्रेड एसोसिएशन

(vii) स्टेनलेस स्टील रोलर्स एसोसिएशन

(viii) ऑल इंडिया स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोलर्स एसोसिएशन

12. आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही भारत में संबद्ध सामानो के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध हैं।

13. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक उत्पादकों का भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम)2 ख (के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम (3)6 के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

सब्सिडी कार्यक्रम

14. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामान के उत्पादक/निर्यातक संबद्ध देश की सरकार द्वारा उन प्रान्तों एवं जिलों सहित विभिन्न स्तरों पर दी गई कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभ लेते आ रहे हैं जिनमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं।

15. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडियों/कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है :

I. **अनुदानों के रूप में अभिज्ञात स्कीमें**

कार्यक्रम संख्या 1: ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष कोष/ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी /ऊर्जा बचत, संरक्षण और उत्सर्जन अनुदान के रुपांतरण के लिए प्रोत्साहन निधि

कार्यक्रम संख्या 2: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध और व्यापार के विकास के लिए निवेश, व्यापार और आर्थिक सहयोग/निधि के विकास हेतु विशेष निधि।

कार्यक्रम संख्या 3: औद्योगिक रुपांतरण और उन्नयन के लिए निधि/प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीकरण अथवा रुपांतरण से संबंधित अनुदान

कार्यक्रम संख्या 4: उद्यम नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) सहायता अनुदान/प्रोत्साहन।

कार्यक्रम संख्या 5: उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अनुदान

कार्यक्रम संख्या 6: औद्योगिक उद्यमों के पुनर्गठन के लिए पुरस्कार और सहायता निधि

कार्यक्रम संख्या 7: उत्पादन क्षमता में कमी के लिए मुआवजा/अथवा कमी के लिए प्रोत्साहन

कार्यक्रम संख्या 8: एसएसएचआर उद्योग में" बाहर जाने "की नीति के लिए समर्थन"/गो ग्लोबल "के लिए समर्थन

कार्यक्रम संख्या 9: विभिन्न सरकारी अनुदान -चीन जन .गण .के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त/नगरपालिका/क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए तदर्थ अनुदान।

II. टैक्स और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात स्कीम

कार्यक्रम संख्या 10: उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों हेतु अधिमानी कर नीतियां/उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आयकर कटौती /उद्यम कर कानून के अनुच्छेद 4-के अंतर्गत गैर-आवासी उद्यम) एनआरई (के लिए अधिमान्य आयकर

कार्यक्रम संख्या 11: पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली जल संरक्षण परियोजनाओं में कार्यरत उद्यमों हेतु कारपोरेट आयकर से छूट अथवा कटौती।

कार्यक्रम संख्या 12: अनुसंधान और विकास) आरएंडडी (व्ययों की अतिरिक्त गणना और कटौती हेतु अधिमान्य कर नीतियां/अनुसंधान और विकास निवेशों हेतु अधिमान्य आयकर लाभ

कार्यक्रम संख्या 13: स्वच्छ विकास तंत्र के लिए अधिमान्य कर नीतियां

कार्यक्रम संख्या 14: उपस्करों के आयात के लिए अधिमान्य कर व्यवहार

कार्यक्रम संख्या 15: अचल परिसंपत्तियों पर बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास

कार्यक्रम संख्या 16: कम लाभ पर प्रचालन करने वाली कंपनियों को उपलब्ध कर प्राथमिकता

कार्यक्रम संख्या 17: पुनर्गठन कर रहे उद्यम का उद्यम आयकर उपचार

कार्यक्रम संख्या 18: ऐसी अवधि जो 10 वर्ष से कम न हो ,के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादक एफआईई के लिए कम कर दर

कार्यक्रम संख्या 19: आयातित प्रौद्योगिकियों और उपस्करों के लिए टैरिफ और आयात वैट से छूट

कार्यक्रम संख्या 20: संसाधनों के एकीकृत उपयोग पर अधिमानी वैट/एफआईई के लिए वैट वापसी

III. ऋण और निर्यात वित्तपोषण के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 21: अधिमान्य ऋण प्रदान करना

कार्यक्रम संख्या 22: जीओसी द्वारा ऋण गारंटी/क्रेडिट ऋण गारंटी/निर्यात क्रेडिट गारंटियां

कार्यक्रम संख्या 23: एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से अधिमान्य निर्यात वित्तपोषण

कार्यक्रम संख्या 24: निर्यात विक्रेता ऋण

कार्यक्रम संख्या 25: निर्यात क्रेता ऋण

कार्यक्रम संख्या 26: निर्यात ऋण बीमा सब्सिडयां

IV. इक्विटी निवेश के रूप में अभिज्ञात स्कीमें

कार्यक्रम संख्या 27: इक्विटी निवेश

कार्यक्रम संख्या 28: इक्विटी स्वैप्स के लिए ऋण

V. **एलटीएआर के लिए सामानों और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात स्कीमें**

कार्यक्रम संख्या 29: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्री का प्रावधान

कार्यक्रम संख्या 30: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर उपलब्ध कराए गए कोयले और कोर्किंग कोयले का प्रावधान।

कार्यक्रम संख्या 31: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) के लिए प्रदत्त भूमि/भूमि उपयोग अधिकार का प्रावधान

कार्यक्रम संख्या 32: पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) के लिए प्रदत्त विद्युत का प्रावधान

16. निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार हैं जो जांच प्रक्रिया के दौरान संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए और मौजूद पाए गए हो सकते हैं।

सब्सिडी और क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना

17. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और कीमत, संबद्ध देश में काफी अप्रयुक्त क्षमताओं, संबद्ध देश के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा लगाए गए व्यापार उपचार उपायों की मौजूदगी और संभावित व्यापार परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को सब्सिडी और क्षति जारी रहने/बार-बार होने की संभावना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र के आधार पर, और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को सब्सिडी और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना को प्रमाणित करने के आधार पर, स्वयं संतुष्ट होने पर नियमावली के नियम 24 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या मौजूदा प्रतिकारी शुल्क की समाप्ति से सब्सिडी जारी रहने अथवा बार-बार होने और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति होने की संभावना है ,के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

जांच की अवधि (पीओआई)

20. आवेदकों ने 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 माह) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है । तथापि, जांच अवधि के संबंध में संशोधित नियम 22 (3) के स्पष्टीकरण में निम्नानुसार बताया गया है :

इन नियमों के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि- (i) जांच की शुरूआत की तारीख की स्थिति के अनुसार 6 महीने से अधिक नहीं विगत नहीं होगी ।

21. नियमावली में उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 01 अप्रेल, 2029 से 30 जून 2021 (15 महीने) की है और क्षति अवधि में अप्रेल, 2017-मार्च, 2018, अप्रेल, 2018-मार्च, 2019, अप्रेल, 2019-मार्च, 2020 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी ।

प्रक्रिया

22. निर्णायक समीक्षा जांच में 14/18/2015-डीजीएडी, दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे, जिनमें चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकरण प्रतिसंतुलन शुल्क के निरसन की स्थिति में सब्सिडी के जारी रहने/पुनरावृत्ति और क्षति का संभावित विश्लेषण भी करेंगे ।

23. समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

24. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, सभी पत्र ईमेल पते adg12-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in jd14-dgtr@gov.in; dd17-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए; यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत करने का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हैं।

25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध सामान से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

26 . कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और स्वरूप में इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

समय-सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in; jd14-dgtr@gov.in; dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित) हित के स्वरूप सहित (की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय रुपांतर भी साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन करने में विफल होने से उत्तर/अनुरोध को रद्द किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33 . "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

35. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

36. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

39. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रुपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

<u>असहयोग</u>

40. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और इस संबंध में अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को उपयुक्त मानी जाने वाली सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2021

(Case No. CVD-SSR- 1/2021)

Subject: Initiation of sunset review anti-subsidy investigation concerning imports of "certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/21/2021-DGTR.—1. M/s. Jindal Stainless Limited and M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited (hereinafter also referred to as the "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of sunset review investigation concerning imports of "Flat Rolled Products of Stainless Steel" (hereinafter referred to as 'product under consideration' or 'PUC' or the 'subject goods') originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

Background

2. The original anti-subsidy investigation was initiated by the Authority vide Notification No 14/18/2015-DGAD dated 12th April 2016. The Authority recommended imposition of countervailing duty, vide Notification No. 14/18/2015-DGAD, dated 04th July, 2017 on imports of subject goods from China. The definitive measure was imposed vide Custom Notification No. 01/2017-Customs (CVD) dated 07th September, 2017.

Consultation

3. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the officials of the Government of China on 10th September, 2021. The Government of China has disputed existence of some of the programs alleged by the applicants. The Authority however considers that the existence of all alleged programs, their countervailability and extent of benefit therein are required to be analyzed through an investigation as per the relevant Rules.

Product under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present investigation is "Flat rolled products of stainless steel, whether hot rolled or cold rolled of all grades/series; whether or not in plates, sheets, or in coil form or in any shape, of any width, of thickness 1.2mm to 10.5mm in case of hot rolled coils; 3mm to 105 mm in case of hot rolled plates & sheets; and up to 6.75 mm in case of cold rolled flat products. Product scope specifically excludes razor blade grade steel."

5. The subject goods are used extensively for Architecture, Building and Construction; Automobile, Railway and Transport; Process Engineering; Consumer Durables; and other such as Coin Blanks and Blades.

6. The subject goods are classified under Chapter 72 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 7219 and 7220. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the investigations.

7. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation is the same as in the original investigation

Product Control Number (PCN)

8. The applicants have proposed a product control numbers for the purpose of fair comparison on the basis of grades, forms, width, thickness and finish of the subject goods. The proposed PCNs are as follows:

S. N.	Description	PCN	Code
1.	Product Type	Hot Rolled,	1
		Cold Rolled,	2
		Hot Rolled Annealed &	3

		Pickled, Cold Rolled Annealed & Pickled	4
2.	Grade of the product	201	201
		202	202
		216	216
		301	301
		304	304
		304L	304L
		309	309
		310/S	310/S
		316	316
		316/L	316/L
		405	405
		409	409
		410	410
		410/S	410/S
		415	415
		420	420
		430	430
		432	432
		436	436
		439	439
		441	441
		444	444
		446	446
		DUPLEX	DUP
		Others – please specify	ORS
		Special – please specify	SPC
3.	Form of the product	Coil	1
		Plate/Sheet	2
		Strips	3
		Punched coil	4
		Reversing mill plate	5
		Quarto plates	6
		Circles	7
		Others – please specify	8
4.	Width of the product	Of a width below 600 mm	1
		Of a width 600 mm or more but upto 1250mm	2
		Of a width more than 1250mm	3

		but upto 1650mm Of a width more than 1650mm	 4
5.	Thickness	(A) HOT ROLLED Of a thickness of 1.2 mm and above but less than 3 mm Of a thickness of 3 mm and above but less than 4.75 mm Of a thickness of 4.75 mm and above but less than 10.5 mm Of a thickness of 10.5 mm and above but less than 14.75mm Of a thickness above 14.75mm and above but not less than 105mm (B) COLD ROLLED or COLD REDUCED Of a thickness of less than 0.5 mm Of a thickness of 0.5 mm and above but less than 1 mm Of a thickness of 1 mm and above but less than 3 mm Of a thickness of 3 mm and above but less than 4.75 mm Of a thickness of 4.75 mm and above but not exceeding 6.75mm	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.	Finish of the product	No special finish Special finish - pl. specify special finish in separate column	1 2

9. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the proposed PCN methodology within 15 days from the date of initiation of this investigation.

Like Article

10. The Applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods exported from the subject country to India. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry and Standing

11. The application has been filed by M/s Jindal Stainless Limited and M/s. Jindal Stainless (Hisar) Limited. Support letter have been filed by the following associations:

i. Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA)

ii. Jagadhri Stainless Steel Re-rollers Association

iii. The Rajasthan Stainless Steel Re-rollers Association

iv. Wazirpur Industrial Estate Welfare Society

v. Stainless Steel Re Rolling Association

vi. Delhi Stainless Steel Trade Association

vii. Stainless Steel Rollers Association

viii. All India Stainless Steel Cold Rollers Association

12. The Applicants have certified that they have neither imported the subject goods from the subject country nor related to any exporter or importer of the subject goods in India.

13. As per evidence available on record, the applicant producers account for a major proportion in the domestic production of the like article in India. In view of the above, the Authority notes that the applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules supra.

Subsidy Programs

14. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country continue to be benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the provinces and districts in which producers/exporters are located.

15. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

I. Schemes identified as Grants.

Program No.1: Special fund for energy saving technology reform / incentive fund for transformation of energy-saving technology/ energy saving, conservation and emission grants

Program No. 2: Special fund for the development of foreign trade and economic cooperation/ Fund for The Development of International Economic Relations and Trade

Program No. 3: Fund for Industrial Transformation and Upgrading / Grants related to technological upgrading, renovation or transformation

Program No. 4: Research & Development (R&D) assistance grant/ incentive for enterprise innovation and R&D.

Program No. 5: Grants for high and new technology industries

Program No. 6: Reward and support fund for restructuring of Industrial Enterprises

Program No. 7: Compensation for the production capacity decrease/or incentive to decrease

Program No. 8: Support for the "going out" policy in the SSHR industry/ support for "Go Global"

Program No. 9: Various Government grants- received by producers/exporters of China PR/ ad hoc grants provided by municipal/regional authorities

II. Schemes identified as Tax & VAT Incentives

Program No. 10: Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies /income tax reductions under Article 28 of the Enterprise Income tax law/ preferential income tax for non-resident enterprises (NRE) under article 4 of enterprise tax law

Program No. 11: Exemption or reduction from corporate income tax for the enterprises engaging in environmental protection, energy conservation and water conservation projects that meet the requirements

Program No. 12: Preferential tax policies for the additional calculation and deduction of research and development (R&D) expenses/preferential income tax benefits for research and development investments.

Program No. 13: Preferential tax policies for clean development mechanism

Program No. 14: Preferential tax treatment for import of equipment

Program No. 15: Accelerated depreciation on fixed assets

Program No. 16: Tax preference available to companies that operate at a small profit

Program No. 17: Enterprise income tax treatment of enterprise going for restructurings

Program No. 18: Reduced tax rate for productive FIEs scheduled to operate for a period not less than 10 Years

Program No. 19: Exemption of Tariff and import VAT for imported technologies and equipment

Program No. 20: Preferential VAT on integrated utilization of resources/ VAT refunds for FIEs

III. Schemes identified as Loans and Export Financing

Program No. 21: Preferential lending

Program No. 22: Loan guarantee/credit loan guarantee by GOC/Export Credit Guarantees

Program No. 23: Preferential export financing from the export-import bank of China

Program No. 24: Export seller's credit

Program No. 25: Export buyer's credit

Program No. 26: Export credit insurance subsidies

IV. Schemes identified as Equity Infusions.

Program No.27: Equity infusions

Program No. 28: Debt for equity swaps

V. Schemes identified as Provisions of Goods & Services for LTAR

Program No. 29: Provision of Raw material at less than adequate Remuneration

Program No. 30: Provision of Coal and coking coal provided at less than adequate Remuneration.

Program No. 31: Provision of Land /Land Use rights provided for less than adequate remuneration (LTAR)

Program No. 32: Provision of Electricity provided for less than adequate remuneration (LTAR)

16. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers/exporters of the subject goods in the subject country, during the course of the investigation.

Likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury

17. There is prima facie evidence of likelihood of continuation/recurrence of subsidy and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, considering the volume and price of imports of the subject goods from the subject country, significant unutilized capacities in the subject country, existence of trade remedial measures imposed by other countries against the subject country and potential trade diversion.

Initiation of Sunset Review Investigation

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicants, substantiating likelihood of continuation or recurrence of subsidy and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 of the Act, read with Rule 24 of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidy and consequent injury to the Domestic Industry.

Subject Country

19. The subject country in the present investigation is China PR.

Period of Investigation (POI)

20. The applicant has proposed period of investigation as 1st April 2020 to 31st March 2021 (12 Months). However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as under:

For the purposes of these rules, the period of investigation shall, - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

21. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 01st April, 2020 to 30th June, 2021 (15 months) and the injury period will cover the periods April 2017-March 2018, April 2018- March 2019, April 2019- March 2020 and the POI.

Procedure

22. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide 14/18/2015-DGAD, dated 04th July, 2017 recommending imposition of countervailing duty on imports of the subject goods from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of continuation/recurrence of subsidisation and injury in the event of revocation of countervailing duty.

23. The provisions of rules 6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22 and 23 shall mutatis mutandis apply in the case of review.

Submission of Information

24. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in jd14-dgtr@gov.in; dd17-dgtr@gov.in , It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

28. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

Time Limit

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in; dir12-dgtr@gov.in; jd14-dgtr@gov.in; dd17-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Anti-subsidy Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

31. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

32. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

33. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

34. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

35. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

39. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic

Non-cooperation

40. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM